

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :- 4/प्राक्क 1 - 221/2016 - 386 पटना - 15, दिनांक :- 29/12/17

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय - राज्य योजना अन्तर्गत पूर्णियाँ जिला के सुपौली पंचायत के तहत वार्ड संख्या - 12 एवं 13 को "हर घर नल का जल" (विद्यमान ब्रह्मज्ञाणी ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना से पाईप लाईन का विस्तार कर) से आच्छादित करने हेतु 46.942 लाख रुपये (छियालीस लाख चौरानवे हजार दो सौ रुपये) मात्र की राशि पर प्रस्तुत योजना की स्वीकृति।

आदेश - राज्य योजना अन्तर्गत पूर्णियाँ जिला के सुपौली पंचायत के तहत वार्ड संख्या - 12 एवं 13 को "हर घर नल का जल" (विद्यमान ब्रह्मज्ञाणी ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना से पाईप लाईन का विस्तार कर) से आच्छादित करने हेतु 46.942 लाख रुपये (छियालीस लाख चौरानवे हजार दो सौ रुपये) मात्र की राशि पर प्रस्तुत योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

2. पूर्णियाँ जिला के सुपौली पंचायत के तहत वार्ड संख्या - 12 एवं 13 को "हर घर नल का जल" उपलब्ध कराने हेतु विद्यमान ब्रह्मज्ञाणी ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना से पाईप लाईन का विस्तार एवं गृह जल संयोजन का कार्य किया जाना है।


3. इस योजना पर होने वाला योजना व्यय बजट का मुख्य शीर्ष - 4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय - उपमुख्य शीर्ष - 01-जल पूर्ति - लघु शीर्ष - 102-ग्रामीण जल पूर्ति - मांग संख्या - 36 - उपशीर्ष - 0101-ग्रामीण जलापूर्ति योजना - विपत्र कोड - 36-4215011020101 - विषय शीर्ष - 0101.53.01 मुख्य निर्माण कार्य तथा मुख्य शीर्ष - 4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय - उपमुख्य शीर्ष - 01-जल पूर्ति - लघु शीर्ष - 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - मांग संख्या - 36 - उपशीर्ष - 0102-ग्रामीण जलापूर्ति योजना - विपत्र कोड - 36-4215017890102 - विषय शीर्ष - 0102.27.01 लघु कार्य मतदेय शीर्षों में भारितव्य होगा।

4. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, पूर्णियाँ होंगे। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा। राशि की निकासी पूर्णियाँ कोषागार से की जायेगी।





5. इस राशि से स्थापना मद पर कोई व्यय नहीं किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।
6. इसके नियंत्रण प्रमुख -सह- विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।
7. योजना एवं योजना मदों में स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन से संबंधित वित्त विभाग के संकल्प संख्या - एम4-53/2007/3758 /वि0 दिनांक - 31-05-17 के आलोक में इस योजना की स्वीकृति दी जाती है।
8. वर्ष 2017-18 के वार्षिक योजना उद्ब्यय एवं बजट उपबंध में इसके लिए प्रावधान है।
9. इस पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
10. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।


 (दिनेश्वर प्रसाद सिंह)
 अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव


ज्ञापांक - 4/प्राक्क 1 - 221/2016 - 386 पटना - 15, दिनांक :- 29/12/17

प्रतिलिपि - वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार / योजना एवं विकास विभाग, बिहार / जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ / कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सचिव के आप्त सचिव / अभियन्ता प्रमुख -सह- विशेष सचिव / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) / मुख्य अभियन्ता (रूपांकण) / मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक) / विशेष पदाधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता (मो0) / कार्यपालक अभियन्ता (मो0-1) / उप निदेशक (मू0) / कार्यपालक अभियन्ता (मो0/मू0) / प्रशाखा - 4 / 6 / कम्प्यूटर प्रोग्रामर / आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पूर्णियाँ / अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पूर्णियाँ / कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




 (दिनेश्वर प्रसाद सिंह)
 अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :- 4/प्राक्क 1 - 221/2016 - 386 पटना - 15, दिनांक :- 29/12/17

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय - राज्य योजना अन्तर्गत पूर्णियाँ जिला के सुपौली पंचायत के तहत वार्ड संख्या - 12 एवं 13 को "हर घर नल का जल" (विद्यमान ब्रह्मज्ञाणी ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना से पाईप लाईन का विस्तार कर) से आच्छादित करने हेतु 46.942 लाख रुपये (छियालीस लाख चौरानवे हजार दो सौ रुपये) मात्र की राशि पर प्रस्तुत योजना की स्वीकृति।

आदेश - राज्य योजना अन्तर्गत पूर्णियाँ जिला के सुपौली पंचायत के तहत वार्ड संख्या - 12 एवं 13 को "हर घर नल का जल" (विद्यमान ब्रह्मज्ञाणी ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना से पाईप लाईन का विस्तार कर) से आच्छादित करने हेतु 46.942 लाख रुपये (छियालीस लाख चौरानवे हजार दो सौ रुपये) मात्र की राशि पर प्रस्तुत योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

2. पूर्णियाँ जिला के सुपौली पंचायत के तहत वार्ड संख्या - 12 एवं 13 को "हर घर नल का जल" उपलब्ध कराने हेतु विद्यमान ब्रह्मज्ञाणी ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना से पाईप लाईन का विस्तार एवं गृह जल संयोजन का कार्य किया जाना है।

3. इस योजना पर होने वाला योजना व्यय बजट का मुख्य शीर्ष - 4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय - उपमुख्य शीर्ष - 01-जल पूर्ति - लघु शीर्ष - 102-ग्रामीण जल पूर्ति - मांग संख्या - 36 - उपशीर्ष - 0101-ग्रामीण जलापूर्ति योजना - विपत्र कोड - 36-4215011020101 - विषय शीर्ष - 0101.53.01 मुख्य निर्माण कार्य तथा मुख्य शीर्ष - 4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय - उपमुख्य शीर्ष - 01-जल पूर्ति - लघु शीर्ष - 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - मांग संख्या - 36 - उपशीर्ष - 0102-ग्रामीण जलापूर्ति योजना - विपत्र कोड - 36-4215017890102 - विषय शीर्ष - 0102.27.01 लघु कार्य मतदेय शीर्षों में भारितव्य होगा।

4. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, पूर्णियाँ होंगे। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा। राशि की निकासी पूर्णियाँ कोषागार से की जायेगी।



